अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन भुगतान के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

A. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विफल होने की स्थिति में आरओ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

i. अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन भुगतान को प्रतिपूर्ति के लिए सीएएस को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। सीएएस को प्रतिपूर्ति के लिए भेजे गए स्क्रॉल में केवल उन्हीं भुगतानों का विवरण होना चाहिए जो निवेशकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गए हैं। अदत्त/अदावाकृत राशि का विवरण मासिक आधार पर सीएएस को सूचित किया जाना चाहिए। आरओ के समवर्ती लेखापरीक्षकों को अपने मासिक रिपोर्ट में अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन भुगतान के विवरण को निर्दिष्ट करना चाहिए और यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि आरओ द्वारा ऐसी अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति सीएएस से नहीं मांगी गई है।

ii. आरओ को ईमेल/एसएमएस के माध्यम से निवेशक को अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन भुगतान के बारे में सूचित करना चाहिए। यदि निवेशक ईमेल/एसएमएस का उत्तर नहीं देता है, तो आरओ के पास उपलब्ध उसके अंतिम पते पर एक पत्र जारी किया जाना चाहिए, जिसमें अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई हो। सत्यापन के लिए आरओ द्वारा ऐसे कार्य का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए।

iii. यदि कोई अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन भुगतान आरओ के पास बकाया रहती है और जिसके लिए सीएएस से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली गई है, तो आरबीआई जुर्माना लगा सकता है।

B. निवेशक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

आरओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रारम्भ करने के लिए सभी निवेशकों के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध हो। यदि बैंक खाते का विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो आरओ द्वारा निवेशक से इसे प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किया जाना है। जब कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न हो, चेक/डिमांड ड्राफ्ट अंतिम विकल्प के रूप में जारी किया जाना चाहिए। आरओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि ब्याज भुगतान/मोचन भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति सीएएस से तभी मांगी जाए जब निवेशक द्वारा चेक/डिमांड ड्राफ्ट का नकदीकरण कर लिया गया हो।

C. ब्याज/मोचन भुगतान को पुनः प्रारम्भ (रि-इनिशियेट) करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

i. जब कोई निवेशक अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन भुगतान को पुनः प्रारम्भ (रि-इनिशियेशन) करने हेतु आरओ से संपर्क करता है, तो दावे की प्रामाणिकता को आरओ के पास उपलब्ध रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाना चाहिए। आरओ द्वारा ऐसे दावे की प्राप्ति की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर निवेशक को भुगतान किया जाना है। आरओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि ब्याज देय होने की तारीख से

छह वर्ष की अवधि के बाद (सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 23 देखें) निवेशक को कोई ब्याज भुगतान जारी न किया जाए। ऐसे मामलों को दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 11 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सीएएस को भेजा जाना है।

ii. ब्याज भुगतान/मोचन भुगतान के बाद, आरओ को निवेशक को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 9.3 में निर्दिष्ट प्रारूप में उनके समवर्ती लेखापरीक्षकों के प्रमाण पत्र के साथ सीएएस से संपर्क करना चाहिए। प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते समय, आरओ को उस तारीख का उल्लेख करना चाहिए जिस दिन अदत्त/अदावाकृत राशि की सूचना पहले सीएएस को दी गई थी, जैसा कि ऊपर A(i) में निर्दिष्ट है।

D. सामान्य दिशा-निर्देश

i. अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन राशि के समाशोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

आरओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अदत्त/अदावाकृत ब्याज/ मोचन भुगतान के बकाया राशि (नए अदत्त भुगतान को ध्यान में रखते हुए और चुकौती के समायोजन के बाद), अगले महीने की 5 तारीख को या उससे पहले सीएएस के साथ सत्यापित और समाशोधित की गई है।

ii. प्रामाणिक डेटा प्रदान करने/डेटा की अखंडता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी

अदत्त/अदावाकृत ब्याज/मोचन राशि का उचित डेटाबेस बनाए रखना आरओ की जिम्मेदारी है। आरओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि सीएएस को भेजा गया डेटा प्रामाणिक है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेशक के दावों और भुगतानों के सत्यापन एकमात्र जिम्मेदारी आरओ की होगी और यदि सीएएस को गलत/अयोग्य दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इसमें शामिल राशि आरओ से वसूल की जाएगी और ऐसे मामलों में जुर्माना लगाया जा सकता है।